संख्या-5/2015/861/9-1-2015-309सा/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2015

विषय: वेतन समिति 2008 के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-308/दस-54(एम)/2008टी.सी. दिनांक-31 मई, 2013 द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में उ.प्र. नगरीय स्थानीय निकायों के लिपिकीय संवर्ग के वर्तमान ढांचे की व्यवस्था को दिनांक 31 मई, 2013 से निम्नानुसार इस प्रतिबंध के अधीन पुनर्गठित/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले व्ययभार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी :-

(क) अकेन्द्रीयित सेवा

क्र.सं.	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन के उपरान्त संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
	द्वितीय श्रेणी लिपिक ग्रेड-2(टंकक सहित) प्रधान लिपिक श्रेणी- 4/वेतन	**80 प्रतिशत सीधी भर्ती** अर्हता-इण्टरमीडिएट हिन्दी टंकण 25 शब्द प्रतिमिनट, अंग्रेजी	कनिष्ठ लिपिक/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2000/-	80 प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी

http://SHASANADESH.UP.NIC.IN

	बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-1900/-	टंकण ज्ञान अतिरिक्त योग्यता। **20 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नति।**		द्वारा प्रदत्त "सी. सी. सी." प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमश: कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों। 15 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों, से भरा जाय। 05 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों, से भरा जाय।
2	लिपिक ग्रेड-1/ प्रथम श्रेणी लिपिक/जन्म मृत्यु लिपिक/ टंकण, टंकण ग्रेड-1/वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2000/-	द्वितीय श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति द्वारा।	वरिष्ठ लिपिक/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2400/-	कनिष्ठ लिपिक से प्रोन्नति द्वारा

(ख) केन्द्रीयित सेवा

क्र.सं.	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन के उपरान्त संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम(पदों की संख्या)/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम(पदों की संख्या)/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	प्रधान लिपिक श्रेणी-3/वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-1900/-	सीधी भर्ती अर्हता-स्नातक ।	कनिष्ठ लिपिक/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2000/-	**80 प्रतिशत सीधी भर्ती।** अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन

http://SHASANADESH.UP.NIC.IN

				का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त " सी. सी. सी." प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में क्रमशः कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों। 15 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों, से भरा जाय। 05 प्रतिशत निकाय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों, से भरा जाय।
2	प्रधान लिपिक श्रेणी-2/वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2000/-	पदोन्नति द्वारा स्नातक।	वरिष्ठ लिपिक/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2400/-	कनिष्ठ लिपिक से पदोन्नति द्वारा
3	प्रधान लिपिक श्रेणी-1/वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2400/-	पदोन्नति द्वारा स्नातक।	वरिष्ठ सहायक/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2800/-	वरिष्ठ लिपिक से पदोन्नति द्वारा
4	कार्यालय अधीक्षक/ वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0-2800/-	पदोन्नति द्वारा स्नातक।	कार्यालय अधीक्षक/ वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0-4200/-	वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा

2- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के पदों के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक-24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

http://SHASANADESH.UP.NIC.IN

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

4- उपर्यक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-115/X - 2015, दिनांक 13 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-5/2015 861(1)/9-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन-तीन प्रतियों में।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8. कार्मिक अनुभाग-1/2
9. नगर विकास अनुभाग-4
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

http://SHASANADESH.UP.NIC.IN